0177-2623917

कार्यालय जिला प्रबन्धक
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम
स्टोक्स पलैस शिमला-2

संख्या:- एस०सी०डी०सी०/एस०एम०एल०/शिक्षाऋण /-2018 5479 दिनांक :- 19.03.2022

सेवा में

1. रजिस्टार
   हि० प्र० विश्वविद्यालय
2. प्रधानाचार्य
   राजकीय कन्या महाविद्यालय नॉगवुड शिमला ,
3. प्रधानाचार्य
   राजकीय महाविद्यालय संजौली,
4. प्रधानाचार्य
   राजकीय महाविद्यालय कोटशेरा चौड़ा मैदान,
5. प्रधानाचार्य
   राजकीय महाविद्यालय ठियोग,
6. प्रधानाचार्य
   राजकीय महाविद्यालय रामपुर बुशैहर,
7. प्रधानाचार्य
   राजकीय महाविद्यालय सुन्नी।

विषय:- निगम द्वारा संचालित शिक्षा ऋण योजना के प्रचार प्रसार बारे ।

महोदय/महोदया

उपरोक्त विषय पर सूचित किया जाता है कि "हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम" प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र विद्यार्थियों को मैट्रिक पास करने के बाद विभिन्न व्यवसायिक व्यवसायों जैसे जे०बी०टी०, बी०एड०, बी०सी०ए०, एम०बी०ए०, एम०सी०ए०, बी०टैक०, एम०टैक०, एम०बी०बी०एस०, सिविल इन्जनियरिंग, बी० फार्मेसी,नर्सिंग कोर्स,होटल मैनेजमैंट,जी०ए०एम०एस० इत्यादि में विभिन्न कालेजों/ आई टी० आई०/ पौलिटैक्निक व अन्य यूनिवर्सिटी/ व्यवसायिक शिक्षण संस्थान जो हि० प्र० सरकार /भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो के माध्यम से मु० 75000/- रू० तक ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण तथा इससे अधिक मु० 150000/- रू० तक (रू०75000/- से रू०150000/-) तक 4% वार्षिक ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाता है । इस योजना के अर्न्तगत लाभ लेने के लिये सम्बन्धित विद्यार्थी की निम्न पात्रतायें होना अनिवार्य है

लगातार पृष्ठ ...2......

1. विद्यार्थी हि० प्र० का स्थाई निवासी होना चाहिये। (हिमाचली प्रमाण पत्र सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी होना चाहिये)
2. आवेदक / विद्यार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय रू० 100000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए । (आय प्रमाण पत्र सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी होना चाहिये)
3. आवेदक / विद्यार्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखता हो । (जाति प्रमाण सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी होना चाहिये)

उक्त के अतिरिक्त "हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम" भी उपरोक्त तर्ज पर सामान्य वर्ग की पात्र इच्छुक छात्राओं को भी 75000/- तक ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाता है ।

अतः आप से अनुरोध किया जाता है कि अपने शिक्षण संस्थान/ कॉलेज में इस निगम की "शिक्षा ऋण योजना" बारे प्रचार प्रसार करने की कृपा करें ताकि जरूरतमंद विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सकें ।

अधिक जानकारी हेतू इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक व्यक्तिगत संपर्क कर सकते है ।

अतीव आदर सहित,

भवदीय,

संलग्न उपरोक्त

जिला प्रबन्धक
हि.प्र. अनु. जाति एवं
अनु. जनजाति विकास निगम
दिनीपालम-2

पृष्ठांकन संख्या एस०सी०डी०सी०/एस०एम०एल०/ शिक्षाऋण /-2018

1. प्रबन्ध निदेशक ,हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम सोलन को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रबन्ध निदेशक ,हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम सोलन को उनके पत्र संख्या एच०पी०एम०वी०एन०/आई०एफ०एस०एल०/98-VIII-828 दिनांक 15-02-2022 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित है।

जिला प्रबन्धक